हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

हरियाणा मुक्त विद्यालय

(आई0एस0ओ0 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

प्रैस नोट

जिन परीक्षार्थियों द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च–2022 Fresh/CTP/Additional/ Re-Appear/Partial Improvement/Full Improvement Category के लिये आवेदन करना है, वे निम्न सैड्यूल अनुसार बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर ऑन–लाईन आवेदन कर सकते है:–

सैकेण्डरी		CTP /Additional/ Fresh Category हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क	Re-Appear Category/ Partial Improvement/ Full Improvement Category हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क
बिना विलम्ब शुल्क	16.09.2021 से 15.10.2021	1000/–रू0	950/–रू0
100/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	16.10.2021 से 15.11.2021	1000+100=1100/–रू0	950+100=1050/–रू0
300/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	16.11.2021 से 15.12.2021	1000+300=1300/–रू0	950+300=1250/–रू0
1000/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	16.12.2021 से 31.12.2021	1000+1000=2000/–रू0	950+1000=1950/–रू0
सीनियर सैकेण्डरी			
बिना विलम्ब शुल्क	16.09.2021 से 15.10.2021	1050/–रू0	1050/–रू0
100/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	16.10.2021 से 15.11.2021	1050+100=1150/–रू0	1050+100=1150/–रू0
300/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	16.11.2021 से 15.12.2021	1050+300=1350/–रू0	1050+300=1350/–रू0
1000/रू0 विलम्ब शुल्क सहित	16.12.2021 से 31.12.2021	1050+1000=2050/–रू0	1050+1000=2050/–रू0

नोटः– सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी Fresh/CTP/Additional/ Re-Appear/Partial Improvement/Full Improvement Category मे प्रायोगिक परीक्षा के लिए 100/–रूपये अतिरिक्त शुल्क दे होगा। सीनियर सैकेण्डरी के फ्रेश श्रेणी के परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय के 200/– रूपये अलग से देय होंगे।

महत्तवपूर्ण दिशा–निर्देश

1. सभी परीक्षार्थियों को हिदायत दी जाती है कि ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व परीक्षा की पात्रता से सम्बन्धित निचे दी गई सभी हिदायतों को ध्यानपूर्वक अनुसरण करें तद्उपरान्त ही अपना आवेदन फॉर्म भरें ऑन–लाईन आवेदन के दौरान किसी भी गलती की सम्भावना के मद्देनजर किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जाएगा।
2. ऑन–लाईन आवेदन करते समय परीक्षार्थी द्वारा सभी प्रविष्ठितां सही/ठीक दर्ज की जायें तथा ऑन–लाईन आवेदन के समय केवल अपना/माता–पिता/बहन/भाई आदि का ही मोबाईल नम्बर दर्ज करें किसी कोचिंग सैंटर या कैफे वाले का मोबाईल नम्बर दर्ज ना करवायें ताकि बोर्ड द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत समय–समय पर जो जानकारियां दी जाती हैं वे जानकारी सीधे सम्बन्धित छात्र तक पहुंच सकें।
3. परीक्षार्थी समय रहते ऑन–लाईन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। आवेदन/पंजीकृत की उक्त तिथियों से अभिप्रायः है कि सफल पंजीकरण के साथ–साथ निर्धारित शुल्क का बोर्ड कार्यालय के निमित बैंक खातों में जमा होना है। प्रायः देखने में आता है कि छात्र अपना ऑन–लाईन आवेदन के समय जारी किये गये यूजर आईडी और पासवर्ड की हार्ड कॉपी ले कर फार्म भरने का उल्लेख करते हुये अनुक्रमांक लेने के लिये बोर्ड कार्यालय में आते हैं। ऐसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि यूजर आईडी या पासवर्ड छात्रों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये जारी किया जाता है। जो परीक्षार्थी ऑन–लाईन आवेदन का निर्धारित शुल्क बोर्ड कार्यालय के निमित बैंक खातों में नहीं करवाते हैं या फीस ऑन–लाईन आवेदन करते समय किन्हीं कारणों से वापिस उनके खाते में चली जाती हैं या ऑन–लाईन आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी के कारण समय पर आवेदन न करने की अवस्था में किसी परीक्षार्थी को समय की छूट नहीं दी जायेगी। ऐसे विद्यार्थी समय रहते अपना आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित कर लें बाद में बोर्ड द्वारा ऐसे केसों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जायेगी। जिन परीक्षार्थियों का सफल पंजीकरण होगा केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को हार्ड कॉपी का प्रिन्ट निकल पायेगा। इसलिये ऑन–लाईन आवेदन के बाद परक्षार्थियों अपनी हार्ड कॉपी निकलवा कर भरे गये प्रलेखों का अवलोकन करना सुनिश्चित करें कि भरे गये विवरण (हस्ताक्षर, फोटो, आधार नम्बर, लिये गये विषय, पता, परीक्षा कैटेगरी, मोबाईल नम्बर व जिला) सही हैं व उनके द्वारा किया गया पंजीकरण सफल हो चुका है।

4. ऑन–लाईन आवेदन के दौरान फोटो नवीनतम, रंगीन व डिजीटल तथा तिथि सहित स्कैन किय जाने अनिवार्य है। स्कैन किये जाने वाले फोटो का साईज 50 से 80 के0बी0 के बीच तथा हस्ताक्षर का साईज 20 से 30 के0बी0 के बीच किया जाना अनिवार्य है। इन दिये गये दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त स्कैन किये गऐ फोटो व हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे तथा ऐसे छात्रों के अनुक्रमांक जारी नहीं किये जायेंगे। स्कैन किये गये फोटो व हस्ताक्षर सम्बन्धी त्रुटि परीक्षा के रोल नम्बर वैब साईट पर जारी होने के उपरान्त ऐसी किसी प्रकार की शुद्वि नहीं की जायेगी। इसलिये परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर व फोटो को अच्छी तरह से चैक कर लें।

5. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयी परीक्षा में अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमैन्ट प्राप्त करने वाले जिन परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई तथा परीक्षा के सभी अन्तिम अवसर समाप्त हो चुके है, ऐसे परीक्षार्थी अन्तिम अवसर समाप्त होने के पश्चात दो वर्ष के अन्दर–अन्दर (सी0टी0पी0 कैटेगरी) क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली में प्रवेश ले सकते है, तथा जिन परीक्षार्थियों द्वारा मार्च–2020 से पूर्व ओपन स्कूल की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के लिए पूर्ण विषयों में पंजीकरण करवाया था, उन द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई तथा परीक्षा में बैठने के सभी अन्तिम अवसर समाप्त हो चुके है, ऐसे परीक्षार्थी अन्तिम अवसर समाप्त होने के पश्चात दो वर्ष के अन्दर–अन्दर (सी0टी0पी0 कैटेगरी) क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली में प्रवेश ले सकते हैं।

6. Additional Category में जिस प्रमाण–पत्र के आधार पर छात्र ऑनलाईन आवेदन करता है उस प्रमाण–पत्र को ऑन–लाईन आवेदन के समय स्कैन करना अनिवार्य है।

7. प्रायः देखने में आता हैं कि विद्यार्थी अपने पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज डाक के माध्यम से अधूरे भेजते है। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा आरम्भ होने पर अपना रोल नम्बर लेने के लिये किसी कैफे वालों का सहारा लेते है ऐसे विद्यार्थियों के लिये विशेष हिदायत दी जाती है कि समय रहते नीचे दिए गऐ पते पर या दस्ती बोर्ड कार्यालय में जमा करवाएं अन्यथा रोल नम्बर रोक लिया जायेगा तथा ऐसी दशा में रोल नम्बर केवल छात्र को ही दिया जाऐगा।

8. केवल फ्रेश/अतिरिक्त (Additional) विषय के लिये ऑन–लाईन आवेदन करने वाले छात्र अपनी ऑन–लाईन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं पास प्रमाण–पत्र की सत्यापित कॉपी दस्ती/पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुक्रमांक जारी नहीं किया जायेगा:–

सहायक निदेशक(मुक्त विद्यालय)
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
हांसी रोड, भिवानी–127021

सचिव